



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना मंडावली

दिनांक – 15.08.2025

थाना मंडावली पुलिस ने मु0अ0सं0 98/2025 धारा 115(2)/352/351(2)/118(1) बी0एन0एस0 व धारा 3(1)द/3(1)ध/3(2)(V)(a) एससी/एसटी एक्ट में वांछित 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 11.08.2025 को वादी अर्जुन सिंह पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम मोहनपुर थाना मंडावली जनपद बिजनौर द्वारा थाना मंडावली पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 10.08.2025 को अभियुक्तगण 1- आकाश पुत्र चन्द्रपाल 2- ऋषभ पुत्र तेजपाल 3- पंकज पुत्र ज्ञान सिंह समस्त निवासीगण उपरोक्त द्वारा वादी के पुत्र व उसके मित्र के साथ जाति सूचक शब्दों को प्रयोग व गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की नीयत से मारपीट करते हुए धारधार हथियार से वार किये गये, जिससे वे दोनों घायल हो गये ।



इस संबंध में तहरीर के आधार थाना मंडावली पर मु0अ0सं0 98/2025 धारा 115(2)/352/351(2)/118(1) बी0एन0एस0 व धारा 3(1)द/3(1)ध/3(2)(V)(a) एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही विवरण-

आज दिनांक 15.08.2025 को थाना मंडावली पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित 03 अभियुक्तों 1.आकाश पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम मोहनपुर थाना मंडावली जनपद बिजनौर 2.ऋषभ पुत्र तेजपाल निवासी ग्राम मोहनपुर थाना मंडावली जनपद बिजनौर 3.पंकज पुत्र ज्ञान सिंह निवासी ग्राम मोहनपुर थाना मंडावली जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

- 1-आकाश पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम मोहनपुर थाना मंडावली जनपद बिजनौर
- 2-ऋषभ पुत्र तेजपाल निवासी ग्राम मोहनपुर थाना मंडावली जनपद बिजनौर
- 3-पंकज पुत्र ज्ञान सिंह निवासी ग्राम मोहनपुर थाना मंडावली जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री राहुल कुमार थाना मंडावली जनपद बिजनौर
2. हे0का0 510 जयवीर थाना मंडावली जनपद बिजनौर
- 3.का0 1380 इमरान थाना मंडावली जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना हल्दौर

दिनांक – 14.08.2025

थाना हल्दौर पुलिस ने लूट की झूठी सूचना देने के संबंध में 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 14.08.2025 को पवन कुमार(गाडी चालक) पुत्र यादराम सिंह निवासी ग्राम कंबोर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ने थाना हल्दौर पर सूचना दी की ग्राम करणपुर गावडी में 04 अज्ञात व्यक्तियों ने उसके साथ मारपीट की तथा उसके साथ लूटपाट कर उसकी कैंटर गाडी से बैटरी निकाल कर ले गये ।

थाना हल्दौर पुलिस द्वारा प्रकरण की गहनता से जांच की गयी तो यह तथ्य प्रकाश में आए कि सूचनाकर्ता पवन कुमार ने अपने मित्र परवेन्द्र पुत्र बाबूराम सिंह निवासी ग्राम फरीदपुर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर के साथ मिलकर स्वयं ही घटना को कारित कर पुलिस को झूठी सूचना दी तथा जांच में स्पष्ट हुआ कि दोनों अपने मालिक अकरम पुत्र हाजी अख्तर निवासी ग्राम मालीवाला थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को धोखा देकर आर्थिक लाभ प्राप्त करना चाहते थे ।



कार्यवाही विवरण-

आज दिनांक 14.08.2025 को थाना हल्दौर पुलिस द्वारा उक्त झूठी सूचना देने के संबंध में पवन कुमार एवं परवेन्द्र कुमार उपरोक्त को धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत गिरफ्तार कर संबंधित न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है । माननीय न्यायालय द्वारा जेल भेजा गया । आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

- 1.पवन कुमार पुत्र यादराम सिंह निवासी ग्राम कंबोर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 2.परवेन्द्र पुत्र बाबूराम सिंह निवासी ग्राम फरीदपुर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 अमूल मिश्रा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
- 2.का0 262 अंकुर जावला थाना हल्दौर जनपद बिजनौर



प्रेस नोट:- जनपद बिजनौर

दिनांक:- 14.08.2025

"ऑपरेशन कन्विकशन" अभियान के क्रम में हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त (39वें हिस्ट्रीशीटर) को 04 वर्ष 05 माह के कठोर कारावास व 10 हजार 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।

कार्यवाही:-

दिनांक 18.07.2019 को थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा अभियुक्त सलीम पुत्र खुर्शीद निवासी ग्राम सब्दलपुर रेहरा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर को 450 नशीली गोलियों सहित गिरफ्तार किया गया था । इस संबंध में थाना हीमपुर दीपा पर मु0अ0सं0 151/19 धारा 22/21 एनडीपीएस एक्ट बनाम सलीम उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप आज दिनांक 13.08.2025 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नम्बर-4, जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 151/19 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट में अभियुक्त सलीम उपरोक्त को 04 वर्ष 05 माह के कठोर कारावास व कुल 10 हजार 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त सलीम उपरोक्त थाना हीमपुर दीपा का हिस्ट्रीशीटर (19B) अपराधी है, जिनके विरुद्ध मंगलौर रुडकी सहित थाना हीमपुर दीपा पर चोरी, आबकारी अधिनियम, शस्त्र अधिनियम, गुण्डा अधिनियम, डकैती जैसी गंभीर धाराओं के 09 अभियोग पंजीकृत है ।

“ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के अन्तर्गत हिस्ट्रीशीटर सलीम उपरोक्त को चिन्हित किया गया था । उक्त अभियान में प्राथमिकता के आधार पर थाना हीमपुर दीपा के हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त सलीम उपरोक्त को सजा करायी गयी है ।

जनपद बिजनौर पुलिस द्वारा वर्ष 2025 में अब तक कुल 39 हिस्ट्रीशीटर अभियुक्तों को सजा कराई गयी है।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पता:-

1- सलीम पुत्र खुर्शीद निवासी ग्राम सब्दलपुर रेहरा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर

दिनांक – 14.08.2025

थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 361/25 धारा 74/75(2)/115(2)/352/351(3)/3(5)/70(1)/126(2)/123 बीएनएस व धारा 3(2)V एससी/एसटी एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 20.06.2025 को वादिया द्वारा थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1- अमित कुमार पुत्र बालकराम निवासी ग्राम टांडा मल्लू थाना कोतवाली रामनगर नैनीताल (उत्तराखण्ड) 2.ललित पुत्र मुनेश निवासी नौगावा सादात थाना नौगावा जनपद अमरोहा द्वारा उसके साथ जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली-गलौच करते हुए मारपीट की गयी तथा जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ गलत कार्य किया गया तथा अभियुक्त अमित उपरोक्त द्वारा अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कर दी गयी।



इस सम्बन्ध में वादिया की तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 361/25 धारा 74/75(2)/115(2)/352/351(3)/3(5)/70(1)/126(2)/123 बीएनएस, धारा 67 आई0टी0 एक्ट व धारा 3(2)V एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया।

नोट- दिनांक 23.07.2025 को उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अमित कुमार पुत्र बालकराम निवासी ग्राम टांडा मल्लू थाना कोतवाली रामनगर नैनीताल (उत्तराखण्ड) को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

कार्यवाही विवरण-

आज दिनांक 14.08.2025 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त ललित पुत्र मुनेश निवासी ग्राम बिजरा थाना नौगावा सादात जनपद अमरोहा को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

ललित पुत्र मुनेश निवासी ग्राम बिजरा थाना नौगावा सादात जनपद अमरोहा।

आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभि0 अमित उपरोक्त-

1.मु0अ0सं0 361/25 धारा 74/75(2)/115(2)/352/351(3)/3(5)/70(1)/126(2)/123 बीएनएस धारा 3(2)V एससी/एसटी एक्ट थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

2.मु0अ0सं0 300/23 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना नौगावा सादात, जनपद अमरोहा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 हिमांशू पवार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

2.का0 1905 जगदीश कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।